

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची ।

राँची, दिनांक 13/11/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27018000101 अन्तर्गत कुल रु 1.00 लाख (एक लाख मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

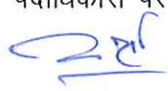
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701-मध्यम सिंचाई	80 सामान्य / 001-निर्देशन तथा प्रशासन	01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना	1.00

आवंटित राशि - रुपये एक लाख मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के मूल बजट उपबंध की कुल राशि रुपये 332.32 लाख तथा द्वितीय अनुपूरक आगणन में आगणित राशि रु 1.00 लाख को मिलाकर संशोधित बजट उपबंध रु 333.32 लाख (तीन करोड़ तैतीस लाख बत्तीस हजार) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 ,1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि० 09.05.16 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. वित्त विभाग के पत्रांक -29/ बी०टी०ई० -18/2014.-15/300 दिनांक - 30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 231

राँची, दिनांक :- 19/01/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 231

राँची, दिनांक :- 19/01/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को **Online Sanction** निर्गत करने हेतु/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना

पत्रांक 231 दिनांक 23/11/22 का अनुलग्नक

(आवंटित राशि लाख रुपये में)

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/ उप शाष-01-मुख्यालय सौचवालय स्थापना																	
क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021-2022		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष-02- यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04- मोटरगाडियां		विस्तृत शीर्ष-07- अन्य व्यय		(आवंटित राशि लाख रुपये में)		
			वेतन	एल0 टी0 सी0		कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत	मोटरगाडियां	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति			
1	2	कार्यालय का नाम	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	49S27018000	
			1010000101	1010000112	1010000213	1010000315	1010000317	1010000323	1010000333	1010000442	1010000760	1010000760	1010000760	1010000760	1010000760	1010000760	1010000760
			विपन्न कोड	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	उप सचिव - सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची।	पूर्व का आवंटन	303.970	1.000	4.000	10.000	2.000	2.500	1.850	5.000	2.000	332.320					
		आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000				
		कुल आवंटन	303.970	1.000	4.000	10.000	3.000	2.500	1.850	5.000	2.000	333.320					
	अतिरिक्त आवंटन का योग	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000					

अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये एक लाख मात्र


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव